R. M. M. Law College. Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher

sub-Evi

(1) नुकसानी के लिए वाद में रकम अवधारित करने में न्यायालय की सुसंगत प्रवृत्ति — सुसंगत तथ्य का वर्णन।

Ans. प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें नुकसानी (Damages) का दावा किया जाता है न केवल यह प्रश्न का विवादग्रस्त होता है कि वादी नुकसानी का हकदार है या नहीं अपितु नुकसानी की रकम को भी निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। अतः न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को भी साबित हो सकें। यह तथ्यों को सुसंगत धारा इस प्रश्न के तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार रुपये की नुकसानी का दावेदार है तो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पश्चात कि कोई नुकसानी पाने का हकदार है न्यायालय उन तथ्यों की जाँच करेगा जिसके आधार पर नुकसानी की सही रकम अवधारित हो सके अतएव वे सारे तथ्य सुसंगत माने जाते हैं।

नुकसानी का दावा जिन तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है ऐसे मामले में प्रतिवादी अपने पक्ष में कथा अभिवचन प्रस्तुत कर सकता है और वादी

भी यह तथ्य इस बात का सबूत है कि व्यापार आमतौर नहीं था बल्कि इन्होंने पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जालसाजी, कूटरचना, छल अथवा मन की स्थिति अन्य लोकहित अवस्था की प्रक्रिया का खण्डन करने के लिये यह साक्ष्य प्रस्तुत एवं उत्पन्न होता है कि प्रश्नगत कार्य में एक अनेक सक्रिय कार्यों के साथ एक एक इन्होंने की मिलकर के अभियुक्त का आचरण एक सा रहा है।

वादी के "विरुद्ध" यह आरोप है कि उन्होंने किसी व्यक्ति से हीरे की अंगूठी बता कर झूठा लिया हो जबकि वह साधारण चमक वाली अंगूठी थी। असली अंगूठी को सोने का अंगूठी बताया झूठा बोल यह इस बात को स्पष्ट करता है, कि वह "छल के प्रयास" का दोषी है और उन तथ्यों के साबित होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि "क" को छल से या आशय ऐसा किया बल्कि इस प्रकार जानबूझ कर छलने का प्रयास किया।

कपटपूर्वक कूटरचित विपणन प्रतिदान करने का अभियुक्त ~~माना~~ माना जायेगा। और उपरोक्त तथ्य दर्शाता है।